न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 63 / 2023

1 महावीर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद बामलास खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी वर्तमान तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 जगदीश प्रसाद
2 हीरासिंह
3 लखनलाल
4 ब्रह्म प्रकाश
5 सरजीत सिंह समस्त पुत्रान मेहरचन्द जाति यादव निवासी खटकड़ तहसील उदयपुरवाटी वर्तमान तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 225 राज. काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध आदेश दिनांकित 25.07.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी महावीर सिंह बनाम जगदीश प्रसाद वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट मु.नं. 78 / 2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020 / 00199

उपस्थिति :

1. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 4/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2020 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 (2) प्रस्तुत कर ग्राम खटकड़ की भूमि खसरा नम्बर 416, 1244/416, 1240/416 को कुर्क कर रिसिवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के आदमी है तथा उनके पास असामाजिक तत्वो का गिरोह है जिसके बल पर वे येन केन प्रकारेण प्रार्थी के संयुक्त कब्जेशुदा भूमि पर उक्त कृत्य नहीं करते लेकिन इसके बावजूद भी लाठी के बल पर अकेले भागे विशेष की भमि पर ब्लात् कब्जा करने की नियत से दिनांक 31.05.2019 को मौके पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया, इससे पूर्व स्थगन के विपरित विभाजन करवा लिया, जिस पर प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश की पालना में दिनांक 03.06.2020 को पटवारी हल्का केड मौके पर गये तथा विभाजन के जरिये नये बने खसरा नम्बर 1244/416 एवं 1240/416 के मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रूकवाकर निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया, जिस पर मौके पर उपस्थित अप्रार्थीगण जगदीश व सरजीत के हस्ताक्षर करवाये, जिस बाबत फर्द मौका पर्चा पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर गई थी, यह नहीं इस उपरान्त भी अप्रार्थीगण ने निर्माण कार्य चालु रखा, जिस पर दिनांक 04.06.2020 को पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी के पेश प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04.06.2020 को मौके पर जाकर जांच की तो पाया गया कि मौके पर पाबन्द करने के बावजूद निर्माण कार्य चालु पाया गया, जिस पर पुलिस थाना उदयपुरवाटी ने भी निरोधात्मक कार्यवाही की, अप्रार्थीगण भी अपने अधिवक्ता के जरिये विचारण न्यायालय में हाजिर होने के कारण

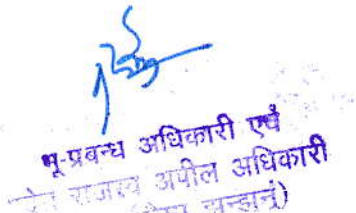

उन्हें भी स्थगन का अच्छी तरह से इल्म है, जिसके आधार पर भी स्पष्ट है कि उन्हें स्थगन का अच्छी तरह से इल्म था, इसके अलावा भी प्रस्तुत भूमि काश्त भूमि है, जिस पर भी निर्माण बिना रूपान्तरण करवाये नहीं किया जा सकता है, उक्ताधार पर भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण आपस में साज करके मनमर्जी से कानून को हाथ में लेकर विधिक अधिकारों की रक्षार्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण के बावजूद भी कानून को हाथ में लेकर मनमर्जी से दिनरात कच्ची निर्माण सामग्री डलवाकर विचारण न्यायालय के आदेश से विपरित जाकर भूमि खसरा नम्बर 416 व विभाजन के बाद बने नये खसरा नम्बर 1244/416 एवं 1240/416 की भूमि को वैस्ट और डैमेज कर रहे है। विचारण न्यायालय में इस हेतु रिसिवरी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने आवेदन साक्ष्य रिपोर्ट का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 (2) प्रस्तुत कर ग्राम खटकड़ की भूमि खसरा नम्बर 416, 1244/416, 1240/416 को कुर्क कर रिसिवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में प्रार्थी अपीलांट के आवेदन का अवलोकन किये बिना पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिपोर्ट का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन विचारणीय था ही नहीं। विचारण न्यायालय को धारा 212 (2) के आवेदन पर रिसिवर के संदर्भ में निर्णय करना था। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन अथवा निर्णय नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में धारा 212 (2) के संदर्भ में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी